बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–28 / 2016– 3146 / कृ0, पटना, दिनांक 4/12/ 2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।(+)**

विषय : **दियारा विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2017–18 में 1420.050 लाख (चौदह करोड़ बीस लाख पाँच हजार) रू० की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

दियारा विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2017–18 में 1420.050 लाख (चौदह करोड़ बीस लाख पाँच हजार) रू० की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. दियारा विकास योजना राज्य के 26 जिलों में कार्यान्वित किया जायेगा। योजना अंतर्गत बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, समस्तीपुर, बेगुसराय, दरभंगा, मधुबनी, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं गया जिलों को शामिल किया जायेगा। उक्त योजना कार्यमद में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का विवरणी अनुसूची–1 पर संलग्न है।

3. योजना के अधीन गोर्डस समूह की सब्जी एवं मेलनस के शंकर किस्म के बीज वितरण के कार्यक्रम चलाये जाएगें। मटर के उन्नत/शंकर प्रभेद के बीज वितरण के भी कार्यक्रम चलाये जायेंगे। अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए शंकर किस्म के बीज वितरण के कार्यक्रम चलाये जायेंगे। अनुमान्य अनुदान दर का निर्धारण विभागीय यूनिट कास्ट कमिटी द्वारा किया जायेगा।

4. अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए शंकर/उन्नत किस्म के बीज सामग्री किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। अनुमान्य बीज सामग्री की खरीद किसान स्वंय करेंगे। गोर्डस समूह की सब्जीयाँ एवं मेलनस के शंकर किस्म के बीज के क्रय पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 8000.00 रू० प्रति हे० किसानों को सहायतानुदान RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। मटर के उन्नत/शंकर बीज के क्रय पर किसानों को मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 7000.00 रू० प्रति हे० किसानों को RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर में बीज की उपलब्धता के लिए पर्याप्त संख्या में विक्रेताओं को आमंत्रित किया जायेगा।

5. मटर बीज की उपलब्धता में कृषि विश्वविद्यालय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। यदि कृषि विश्वविद्यालय से बीज की प्राप्ति संभव नहीं हो तो सरकारी क्षेत्र में बीज उत्पादन करने वाली एजेंसी से बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

6. गोर्डस समूह की सब्जीयाँ तथा मेलनस के शंकर प्रभेद किसानों के रूझान एवं उत्पादन क्षमता को देखते हुए निजी कम्पनियों के शंकर बीज किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जायेंगे। जैविक/बायो उपादान में कृषकों को ह्यूमिक एसिड (Humic Acid), बायो फर्टिलाईजर (एजोटेबेक्टर, पी०एस०बी०), ट्रायकोडरमा/भर्टिसिलियम लेसानी, बायो पेस्टीसाईड एवं नीम खल्ली/वर्मी कम्पोस्ट/सिटी कम्पोस्ट किसानों को 50 प्रतिशत के अनुदान पर अधिकतम 3000.00 (तीन हजार) रू० प्रति हेक्टेयर की दर से शिविर में अधिकृत विक्रेताओं से क्रय करने पर RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

7. दियारा क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के विकास के लिए पी०भी०सी० पाईप बोरिंग के लिए लागत का 50 प्रतिशत (100 फीट, 4 ईंच व्यास की पाईप हेतु) अधिकतम अनुदान 7,500.00 (सात हजार पाँच सौ) रू० प्रति यूनिट देय होगा। इस योजना का कार्यान्वयन यथा संभव कलस्टर में किया जायेगा। ईच्छुक कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। चुने गये ईच्छुक कृषकों को जिला कृषि पदाधिकारी/इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र निर्गत किये जायेंगे। पी०भी०सी० पाईप बोरिंग को सफलता पूर्वक चलने के उपरांत हीं अनुदान का भुगतान RTGS के द्वारा किया जायेगा तथा इसका फोटोग्राफ अभिलेखित किया जायेगा।

8. कृषकों को प्रशिक्षित करने एवं दियारा क्षेत्र के विकास के लिए उनके विचार जानने हेतु जिलास्तर पर प्रशिक्षण एवं सेमिनार आयोजित किया जायेगा।

9. राज्य से बाहर कृषकों को कृषक प्रशिक्षण–सह–भ्रमण कराया जायेगा। इस योजना में कुल–25 (पच्चीस) कृषक सम्मिलित होंगे। जिसमें जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा अपने संबंधित जिले से चयनित कृषक भाग लेंगे।

10. योजना कार्यान्वयन के लिए संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। राज्य स्तर पर योजनाओं के कार्यों का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु उप निदेशक (शष्य), टाल दियारा चौड़ विकास– सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दियारा विकास परियोजना, बिहार, पटना, उत्तरदायी होंगे। कृषि निदेशक, बिहार, पटना इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे। जिला स्तर पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची एवं जिलावार स्वीकृत राशि की विवरणी अनुसूची–2 संलग्न है।

11. वर्ष 2017–18 के लिए बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या–1, उप शीर्ष–0106 इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड–01–2401001090106, विषय शीर्ष–0106.33.01 सब्सिडी	8147.00	1178.641
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–1, उपशीर्ष–0106– इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड–01–2401007890106 विषय शीर्ष– 0106.33.01 सब्सिडी	1680.00	227.208
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–1, उप शीर्ष–0134 इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड–01–2401007960134, विषय शीर्ष–0134.33.01 सब्सिडी	88.00	14.201
कुल	**9915.00**	**1420.050**

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 वि0 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन दिनांक 17.07.2017 को प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

14. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–28/2016 के पृ०सं०– 31/टि० पर दिनांक– 03.08.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

4.8.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग,बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\Diyara Vikas\Sanlakh 2017-18.doc

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–28 / 2016– 3146 / कृ0, पटना, दिनांक 4/8/ 2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–28 / 2016– 3146 / कृ0, पटना, दिनांक 4/8/ 2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–28 / 2016– 3146 / कृ0, पटना, दिनांक 4/8/ 2017

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–28 / 2016– 3146 / कृ0, पटना, दिनांक 4/8/ 2017

प्रतिलिपि : मंत्री कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव, कृषि विभाग / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, पी०पी०एम० / संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी / परियोजना पदाधिकारी, दियारा विकास, बिहार, पटना / संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी / संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण / बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को वांछित कार्रवाई तथा विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\Diyara Vikas\Sanlakh 2017-18.doc